न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-41/2012/भीलवाड़ा (2012/00043)

1. गोपाल पुत्र भंवर तोषनीवाल, निवासी शाहजी का मौहल्ला, मंगला चौक, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल तोषनीवाल (मृतक) जरिये वारिसानः-
1/1- शिवकुमार पुत्र रामनिवास, नि0 आई0टी0आई0 के पीछे, आजाद नगर, भीलवाड़ा ।
1/2- राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास,
1/3- सुशिल कुमार पुत्र रामनिवास,
1/4- श्रीमती बादाम बाई पत्नि रामनिवास,
समस्त नि0 रामेश्वरम, मंगला चौक, भीलवाड़ा ।
1/5- श्रीमती विमला देवी पत्नि हरकलाल, पुत्री रामनिवास, निवासी नगर पालिका कॉलोनी, चित्तोड़गढ़ ।
1/6- श्रीमती मंजू देवी पत्नि महेन्द्र कुमार नुवाल पुत्री रामनिवास,निवासी सदर बाजार ग्राम रामसर, वाया, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
1/7- श्रीमती प्रेमबाई पत्नि सत्यनारायण पुत्र रामनिवास,
1/8- मुकेश पुत्री सत्यनारायण,
1/9- राकेश पुत्र सत्यनारायण,
1/10-सुश्री मिनाक्षी पुत्री स्व0 सत्यनारायण,
1/11-श्रीमती ममता पुत्री सत्यनारायण पत्नि सत्यनारायण,
समस्त निवासी सी-11, पार्श्वनाथ टाउनशीप कृष्ण नगर, नवा नरोडा, अहमदाबाद (गुजरात)
2. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल, निवासी शाहजी का मौहल्ला, मंगला चौक, भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 08.08.2011 अंतर्गत अपील संख्या 58/2011 .

उपस्थितः-

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंटस अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 01.10.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित पारित आदेश दिनांक 08.08.2011 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोदूकोटा, तहसील भीलवाड़ा में कृषि भूमि खसरा संख्या 551, 569, 3936/561 कुल रकबा 9 बीघा स्थित है, उक्त आराजियात में 1/4 हिस्सा नानूराम पुत्र कन्हैयालाल, 1/4 हिस्सा, रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल, 1/4 हिस्सा राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल एवं 1/4 हिस्सा अपीलांट के पिता भंवरलाल का अंकित था । नानूराम नाऔलाद दिनांक 11.3.2005 को फौत हो गये तथा मृत्यु पूर्व नानूराम ने एक वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया था, इस कारण नानूराम की मृत्यु उपरांत अपीलांट ने तहसीलदार, भीलवाडत्रा के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार, भीलवाड़ा ने प्रकरण 7/2005 दर्ज कर गवाहान को तलब किया तथा गवाहों के बयान, वसीयत के गवाहों व अन्य न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत आदेश दिनांक 18.7.2005 को पारित करते हुए नामांतकरण नानूराम की भूमि में उनके हक हिस्से बाबत् अपीलांट के पक्ष में दर्ज करने का पारित किया । उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्धारा नामांतकरण संख्या 2121 दिनांक 11.8.2005 को अपीलांट के पक्ष में स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध रामनिवास द्धारा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा ने आदेश दिनांक 8.8.2011 को पारित कर नामांतकरण संख्या 2121 दिनांक 11. 8.2005 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्धितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 द्धारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं थी क्योंकि नामांतकरण संख्या 2121 दिनांक 11.8.2005 तहसीलदार द्धारा दिनांक 18.7.2005 की पालना में उक्त नामांतकरण स्वीकार किया गया था एवं इस कारण मूल आदेश को चुनौती दिये बिना पारित नामांतकरण संख्या 2121 दिनांक 11.8.2005के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं थी तथा विद्वान जिला कलक्टर को भी अपील सुनने का अधिकार नहीं

था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि बाबत् पक्षकारों के मध्य एक वाद राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल द्वारा दायर किया गया है, उक्त वाद में रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल भी पक्षकार है, जिन्हें नोटिस तामील हुआ है तथा वाद संख्या 198/2005 में तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने के पश्चात् एकतरफा कार्यवाही की गई, उक्त वाद में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि नामांतकरण की जानकारी रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल को वर्ष 2005 में हो चुकी थी परन्तु इसके बावजूद भी अपील वर्ष 2011 में दिनांक 30.5.2011 को 5 वर्ष की भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की जाने के उपरांत भी अधी0न्याया0 ने मियाद के पर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं होने के बावजूद विलंब माफ कर अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही है जिसमें तहसीलदार को भू–अभिलेख के नियमों के अनुसरण में वसीयत की वैधानिकता का परीक्षण करना होता है तथा गवाहान के बयान लेकर आदेश पारित किया गया था एवं उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 यदि असंतुष्ट थे तो वह नियमित वाद दायर कर अपने अधिकारों को तय करवा सकता था परन्तु वर्तमान अपीलाधीन आदेश जिस प्रकार से अधी0न्याया0 ने पारित किया है वह पूर्णतया अवैधानिक है । विद्वान जिला कलक्टर ने भू–अभिलेख नियमों के नियम 132 का गलत रूप से अर्थ निकाल कर भू–अभिलेख के नियम 131 को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.8.2011 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 12.7.2011 की पेशी पर अभिभाषक नियुक्त किया तथा जवाब आदि प्रस्तुत किये गये तथा प्रार्थी इस विश्वास में था कि अभी आवेदन पत्रों पर बहस होने के उपरांत प्रकरण बहस में नियत होगा तथा इसी सद्भाविक विश्वास में रहने के कारण प्रार्थी अपने अभिभाषक से संपर्क नहीं कर सका तथा दिनांक 4.11.2011 को प्रार्थी ने अपने अभिभाषक से संपर्क किया तो प्रार्थी के अभिभाषक ने बताया कि अपील का निर्णय दिनांक 8.8.2011 को हो चुका है । इसके उपरांत प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर, अजमेर आकर अभिभाषक नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर

अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण को गुणावगुण पर पत्रावली एवं अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में नामांतकरण संख्या 2121 दिनांक 11.8.2005 के विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के चार खातेदार नानूराम, रामनिवास, राधेश्याम एवं अपीलांट के पिता भंवरलाल पुत्रान कन्हैयालाल थे जिनका प्रत्येक का विवादित आराजियात में 1/4, 1/4 हिस्सा निहित था । नानूराम ने अपने जीवनकाल में अपने 1/4 हिस्से की आराजियात के संबंध में एक वसीयतनामा अपीलांट गोपाल पुत्र भंवरलाल के पक्ष में दिनांक 11. 3.2015 को निष्पादित किया था । इस वसीयत के आधार पर अपीलांट द्वारा तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण संख्या 7/2005 दर्ज कर वसीयत के गवाहान को तलब कर, विधिक वारिसान की जांच उपरांत निर्णय दिनांक 18.7.2005 द्वारा मृतक खातेदार नानूराम के 1/4 हिस्से की आराजियात गोपाल पुत्र भंवरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है । नामांतकरण संख्या 2121 दिनांक 11.8.2005 तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण 7/2005 में पारित निर्णय दिनांक 18.7.2005 की पालना में तस्दीक किया गया है जो राज0भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) के तहत तस्दीक किया गया है तथा ऐसे नामांतकरण आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर को सुनवाई का अधिकार नहीं होकर न्यायालय हाजा को है इसक बावजूद विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने राज0भू–राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) के तहत स्वीकृत नामांतकरण के विरूद्ध दायर अपील को दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 11.8.2011 द्वारा नामांतकरणसंख्या 2121 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रतिपेप्रषित किया है जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 संख्या 1 को चाहिये था कि नामांतकरण संख्या 2121 दिनांक 11. 8.2011 को चुनौती देने के बजाय सर्वप्रथम तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 7/2005 में पारित आदेश दिनाक 18.7.2005 को चुनौती देना चाहिये था क्योंकि विवादित नामांतकरण तो प्रासंगिक आदेश दिनांक 18.7.2005 की पालना में खोला गया है । इस तरह यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 7/2005 में पारित आदेश दिनांक 18.7.2005 को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार, भीलवाडा के आदेश दिनांक 18.7.2005 के सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने हेतु स्वतंत्र है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा बिना अधिकारिता एवं मूल आदेश दिनांक 18.7.2005 को चुनौती नहीं देने के अभाव में पारित निर्णय दिनांक 8.8. 2011 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.8.2011 अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 41/2012 (2012/00043) बउनवानी गोपाल बनाम रामनिवास को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 58/2011 बउनवान रामनिवास बनाम राधेश्याम में पारित निर्णय दिनांक 8.8.2011 को अपास्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 1.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर